रजिस्ट्री सं. डी. एल. (एन) 04/0007/2003–05

REGD. NO. D. L. (N) 04/0007/2003—05

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक

WEEKLY

सं. 45] नई दिल्ली, अक्तूबर 30—नवम्बर 5, 2016, शनिवार/कार्तिक 8—कार्तिक 14, 1938

No. 45] NEW DELHI, OCTOBER 30—NOVEMBER 5, 2016, SATURDAY/KARTIKA 8—KARTIKA 14, 1938

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं

Statutory Orders and Notifications Issued by the Ministries of the Government of India (Other than the Ministry of Defence)

वित्त मंत्रालय

(वित्तीय सेवाएं विभाग)

नई दिल्ली, 28 अक्तूबर, 2016

का.आ. 2181.—सरकारी स्थान (अनधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम, 1971 (1971 का 40) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्द्वारा, निम्नलिखित सारणी के कालम (2) में उल्लिखित अधिकारियों को उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिए बैंक ऑफ इंडिया में सम्पदा अधिकारी नियुक्त करती है और आगे यह निदेश देती है कि उक्त अधिकारी उक्त अधिनियम द्वारा या उसके अंतर्गत सम्पदा अधिकारी को प्रदत्त शक्तियों और अधिरोपित कर्तव्यों का, अधोलिखित सारणी के कालम (3) में विनिर्दिष्ट क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सरकारी स्थानों के संबंध में, प्रयोग करेंगे।

सारणी

क्रम सं.	अधिकारी का पदनाम	सरकारी स्थानों की श्रेणियां और क्षेत्राधिकार की स्थानीय सीमाएं
(1)	(2)	(3)
1.	अंचल प्रबंधक, आगरा अंचल, आगरा	उत्तर प्रदेश राज्य में आगरा, अलीगढ़, इटावा, फर्रुखाबाद, फिरोजाबाद, हाथरस, कन्नौज, मेनपुरी, मथुरा, बदायूं, बुलंदशहर, एटा, मान्यवर कांशीराम नगर जिले/अर्द्ध-शहरी जिले में स्थित बैंक ऑफ इंडिया के स्वामित्व वाले अथवा उनके द्वारा पट्टे पर लिए गए या उनकी ओर से पट्टे पर लिए गए या उनके प्रशासनिक नियंत्रण में आने वाले परिसर।

16. As a sequel to the detailed discussion hereinabove, it is held that termination of the workman with effect from 27.11.2007 is held to be wrong and illegal; as such the same is not justified. The claimant herein, Shri Ramanand Dahiya, is entitled to full back wages, alongwith all consequential benefits. An award is accordingly passed. It be sent to the appropriate Government, as required under Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947, for publication.

Dated : October 20, 2016

A. C. DOGRA, Presiding Officer

नई दिल्ली, 28 अक्तूबर, 2016

का.आ. 2193.—राष्ट्रपति, श्री प्रमोद कुमार मिश्रा, पीठासीन अधिकारी, केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण–सह–श्रम न्यायालय, आसनसोल को सौंपे गए केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण–सह–श्रम न्यायालय, गुवाहाटी के पीठासीन अधिकारी के अतिरिक्त प्रभार की अवधि को दिनांक 01.07.2016 से छह माह के आगे की अवधि तक अथवा नियमित आधार पर पद के भरे जाने तक अथवा अगले आदे शों तक, इनमें जो भी पहले हो, बढ़ाते हैं।

[सं. ए–11016/03/2009–सीएलएस–II]

एस. के. सिंह, अवर सचिव

New Delhi, the 28th October, 2016

S.O. 2193.—The President is pleased to extend the tenure of entrustment of additional charge of the post of Presiding Officer of the Central Government Industrial Tribunal-cum-Labour Court, Guwahati to Shri Pramod Kumar Mishra, Presiding Officer, Central Government Industrial Tribunal-cum-Labour Court, Asansol for a period of six moths with effect from 01.07.2016 or till the post is filled on regular basis or until further orders, whichever is the earliest.

[No. A-11016/03/2009-CLS-II]

S. K. SINGH, Under Secy.

नई दिल्ली, 28 अक्तूबर, 2016

का.आ. 2194.—कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 1 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा 1 नवम्बर, 2016 को उस तारीख के रूप में नियत करती है, जिसको उक्त अधिनियम के अध्याय 4 (44 व 45 धारा के सिवाय जो पहले से प्रवृत्त हो चुकी है) अध्याय 5 और 6 [धारा 76 की उप-धारा (1) और धारा 77, 78, 79 और 81 के सिवाय जो पहले ही प्रवृत्त की जा चुकी हैं] के उपबंध असम राज्य के निम्नलिखित क्षेत्रों में प्रवृत्त होंगे, नामत: :—

राज्य	जिला	निम्नांकित के अंतर्गत आने वाले सभी क्षेत्र
असम	विश्वनाथ	विश्वनाथ चारियालि राजस्व क्षेत्र
असम	चिरांग	काजलगांव सदर और बिजनी (टाउन कमिटी)

[सं. एस–38013/40/2016–एस.एस. I]

अजय मलिक, अवर सचिव

New Delhi, the 28th October, 2016

S.O. 2194.—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of Section 1 of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948) the Central Government hereby appoints the 1st November, 2016 as the date on which the provisions of Chapter IV (except Sections 44 and 45 which have already been brought into force) and Chapter-V and VI [except sub-section (1) of Section 76 and Sections 77, 78, 79 and 81 which have already been brought into force] of the said Act shall come into force in the following areas (including already implemented areas) in the State of Assam namely :—

State	District	All The Areas Fallng Under
Assam	Biswanath	Biswanath Chariali Revenue Circle.
Assam	Chirang	Kajalgaon Sadar And Bijni (Town Committee)

[No. S-38013/40/2016-S.S. I]

AJAY MALIK, Under Secy.